01 Aug 13 15:49

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.हिंदी-2012/वि-I/9/1 नई दिल्ली 03.02.2012

महाप्रबंधक (राजभाषा)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.

बिषय:- मानदेय के आधार पर मैनुअलों/संहिताओं/नियम पुस्तकों/नियमों/तकनीकी साहित्य आदि का हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद.

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड के दि. 17.3.99 के पत्र सं. हिंदी-98/वि-I/9/1 का अवलोकन करें जिसमें रेलवे के मैनुअलों, संहिताओं, नियम पुस्तकों, नियमों (जिनमें स्टेशन संचालन नियम भी शामिल हैं) तथा तकनीकी साहित्य आदि के अनुवाद, परिशोधन और टंकण के लिए मानदेय की दरें निर्धारित की गई थी

रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय ने मैनुअलों, संहिताओं, नियम पुस्तकों, नियमों, (जिनमें स्टेशन संचालन नियम भी शामिल हैं) तकनीकी साहित्य तथा सभी प्रकार के दस्तावेजों के अनुवाद, परिशोधन तथा टंकण के लिए पूर्व दरों में संशोधन करते हुए निम्नलिखित दरें निर्धारित की हैं:-

अनुवाद के लिए	:	45/-रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)
अनुवाद के परिशोधन के लिए	:	18/-रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)
टंकण के लिए	:	12/-रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द)

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अनुवादकर्ता, रेल अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया अनुवाद इस कोटि का हो कि इसके परिशोधन की आवश्यकता न हो और अनुवादकर्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दे तथा सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अनुवाद के परिशोधन की आवश्यकता नहीं है और अनुवाद की टाइपिंग भी की गई हो तो अनुवादकर्ता को 75/-रु. प्रति पृष्ठ (300 शब्द) की दर से मानदेय मंजूर किया जा सकता है.

3. जब किसी रेलवे/रेल कार्यालय को कोई अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर कराने की आवश्यकता पड़े तो उस रेलवे/रेल कार्यालय को उसके अपने सह वित्त की सहमति प्राप्त करनी जरूरी है.

4. उपर्युक्त दरें मैनुअल/संहिताओं/नियम पुस्तकों/नियमों/तकनीकी साहित्य तथा सभी प्रकार के दस्तावेजों के अनुवाद के लिए निर्धारित की गई हैं.

5. मानदेय की ये संशोधित दरें इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू मानी जाएंगी.

6. यह पत्र रेल मंत्रालय की वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(श्रीनिवास सिंह)
उप निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

D:\doc\New Folder\My Documents\File Work\98-9-1.DOC

रा. अधि.
कृपया पोजीसन बताएँ। किस काम की जरूरत है, कृपया बताएँ। Fund Allocation भी बतायें
01/08/13